दैनिक भास्कर
रविवार, 21 फरवरी 2021 नोएडा

हमारी सोच में छुपा है समाधान

गीतांजलि सक्सेना

लिंगभेद / स्नेह और प्यार

काश! हम अपने आसपास, पड़ोस में या अपने परिवारों में बेटी के जन्म पर खुशियों से भरपूर लम्हें, ढोल बाजे की गूंज में नन्ही परी का अपने आंगन में आने का स्वागत करने का देख पाते। उस नन्ही जान को समान रूप में उसके हिस्से का स्नेह और प्यार न्योछावर होने की स्थिति का वर्णन भी कर पाते। ठीक उसी तरह जब बेटे के जन्म का जश्न और घर परिवारों में खुशियों की जो सामाजिक और भावनात्मक तस्वीर हमें देखने को मिलती है, तब हमारे दृष्टिकोण में पनप रहा लिंग भेद अन्तर वास्तव में हैरान व परेशान करता है। आज हम 21वीं सदी की ऐसी रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था पर भारतीय होने का गर्व भी करते हैं, जहां बच्ची के जन्म से ही हम लैंगिक असमानता का बीज खुद ही बो देते हैं। कितनों को तो जीने के अधिकार से वंचित करना अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा मानकर अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है।

बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज भी लड़कियों और महिलाओं को इस सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घर और बाहर व समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित हो होना पड़ रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों ही सामाजिक संरचना के मूल आधार हैं। जिस प्रकार तराजू में दोनों तरफ भार रखने से ही तराजू संतुलित होता है, ठीक उसी तरह समाज और राष्ट्र की प्रगति और संतुलन बनाने के लिए जरूरी हो जाता है कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य लैंगिक समानता स्थापित की जाए।

आज प्रगतिशील समाज और आधुनिकता की जीवनशैली अपनाने वाले शिक्षित वर्ग को भी लैंगिक असमानता के विरोध में कम पहल करते हुए देखा जा सकता है। जिस कारण जिन्दगी की जंग में हर अनावश्यक स्थिति का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता है। उसके हिस्से में आई हर एक परिस्थिति उसके सामने चुनौती बनकर आती है। उनकी हर सफलता को निर्धारित करने की बागडोर उन लोगों के हाथों में रहती है, जो अपने मैदान में गेंद लेना कतई पसंद नहीं करते हैं।

हमें समाज के स्वरूप और उसकी परिभाषा में बदलाव लाने के प्रयास करने होंगे। आज भी सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा और कुरीतियों पर विश्वास करने वाले पितृत्व समाज की अवधारणा को अपनाए हुए हैं। उनकी मानसिकता में बदलाव ना आने के कारण ही लैंगिक असमानता उनके द्वारा बनाई सोची समझी खाई बनी प्रतीत होती है।

इन परिस्थितियों में सदियों पुरानी इस बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने के लिए और इस संकीर्ण सोच को खत्म करने के लिए मातृत्व प्रधान समाज की स्थापना करते हुए उसे मुख्य धारा में लाकर स्वीकृति

बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज भी लड़कियों और महिलाओं को इस सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हासिल कराने की पहल करनी होगी। निःसंदेह इस जिम्मेदारी को निभाने में और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंजिल सरल नहीं होगी। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन व बदलाव ही सामाजिक विकास को गति देता है। भारतीय समाज में व्याप्त अनेकों समकालीन समस्याओं में लैंगिक असमानता की जड़ें वर्षों से गहरी होती जा रही हैं। अगर देश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, तो अधिकांश क्षेत्रों में वह दिखता है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्र और मनोरंजक या खेल क्षेत्रों में ही क्यों न हो। इसलिए लैंगिक असमानता की खाई को पाटने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर सरल व सुगम हो जाए।

इस रास्ते पर चलने के लिए हमें उन सब अवरोधन कारकों और उसके समाधानों पर जोर हुए देते हुए समस्या से लड़ने के लिए जूझना होगा। इस समस्या से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन की स्थिति ... उसके दूरगामी प्रभाव समाज हित में कतई नहीं है। हर शख्स को अपने स्तर पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सकारात्मक नजरिये रखते हुए स्थिति को देखना और समझना होगा। इस समस्या से निपटने में सुधारात्मक नीतियों का हस्तक्षेप तत्काल आवश्यकता है। लैंगिक असमानता समाज की वह स्थिति है, जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री-पुरुष में भेदभाव किया जाता है।

लैंगिक समानता एक मानव अधिकार ही नहीं, बल्कि यह देश के विकास के लिए आवश्यक बुनियाद है। महिलाओं को मुख्यधारा से बाहर रखने का मतलब दुनिया की कुल आबादी में आधी आबादी को सम्पन्न समाज और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में भागीदारी के अवसर से वंचित रखना होगा। प्रत्येक महिला का अधिकार है, उसकी क्षमता के विकास को पूरी तरह से मौका मिले।

यूं तो आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। शायद इसीलिए अब भारतीय महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पदों का नेतृत्व करते हुए भी देखा जा सकता है। किन्तु जब लैंगिक समानता के मापदंडों का अवलोकन किया जाता है, तब उसका स्थान महिला स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत निम्न स्थान प्राप्त करने वाले पांच देशों में शामिल है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और भागीदारी अन्य सेक्टर की अपेक्षा बेहतर रहा है।

तात्पर्य यह है कि लैंगिक असमानता के कारणों में मुख्यतः हमारी सामाजिक संरचना है, जिसमें कुछ वर्गों में पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादी विचारधारा मानदंडों को बरकरार रखे हुए है। जिस कारण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्तिकरण के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण, जीवन कौशल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को अर्थपूर्ण तरीकों से विकसित करना होगा। तभी वे आत्मनिर्भर हो सकती हैं। स्त्री व पुरुष दोनों को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जाना चाहिए। शहरों से अधिक गांवों में बच्चियों को हानिकारक प्रथाओं जैसे बाल विवाह, लिंग भेद में नवजात बच्चियों को न अपनाना अत्यंत शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया में दंडित करने का ठोस प्रावधान किया जाना चाहिए।

बालिकाओं के महत्व और परिवार में उनकी उपस्थिति व समाज के विकास निर्माण में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर अनेकों योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु इन योजनाओं की सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। लिंग भेद कर रहे परिवारों की मानसिकता पर संगठित होकर चोट देना होगा। सामाजिक व्यवस्था व सरकारी मशीनरी, दोनों के बीच तालमेल ही इस ओर किए जा रहे प्रयासों में लाभ दे सकते हैं।

नन्हा आंखों का तारा, तो नन्ही आंख किरकिरी नहीं, ना ही कोई वस्तु विशेष,
आजमाइश कठघरे में ना खड़ा करें, घर परिवारों की बागडोर दें, उन हाथों में,
बहुमुखी, प्रतिभाशाली, गुणों की धनी, हर अवसरों पर है, उसका भी अधिकार,
सोच बदलें, विश्वास मानें, नहीं होंगे निराश हम सब, रचें महिला प्रधान समाज।